12953/2021 Pankaj

पंकज श्रीवास्तव
कोड-UP14521904
लाइ०न०-165
सदर,जिला-अयोध्या

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP79217874273252T
Certificate Issued Date	:	24-Dec-2021 11:44 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14521904/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1452190448887118700426T
Purchased by	:	SANJAY KUMAR VERMA SO LATE RANJEET VERMA
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	MAUJA-DHARUPUR PAR-AMSIN TEH-SADAR DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SANJAY KUMAR VERMA SO LATE RANJEET VERMA
Second Party	:	THAKURDEIEDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST DHARUPUR
Stamp Duty Paid By	:	SANJAY KUMAR VERMA SO LATE RANJEET VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	42,300 (Forty Two Thousand Three Hundred only)

प्रदर्श क-1

नायब तहसीलदार (पैमाईश)
सदर-अयोध्या

E Stamp Verify

E Stamp LOCKED

Please write or type below this line

संजय वर्मा

संजय वर्मा

0004128582

Statutory Alert

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

(विलेख का प्रकार दानपत्र)

निष्पादन दिनांक 24-12-2021ई

स्थान – कलेक्ट्रेट अयोध्या

प्रदर्श क–1

मालियत – 8,46,000/–   स्टाम्प – 42,300/–

01. भूमि की अवस्थिति (नगरीय/अर्द्धनगरीय/विकासशील/ग्रामीण) – ग्रामीण

02. सम्पत्ति का प्रकार (कृषि/आवासीय/व्यवसायिक) – कृषि

03. स्थित ग्राम – धारूपुर

04. परगना – अमसिन

05. तहसील – सदर

संजय वर्मा   संजय वर्मा

06. जिला — अयोध्या

07. सम्पत्ति का विवरण — गाटा संख्या 134 (एक सौ चौंतीस)

08. गाटा संख्या का यूनिक आई डी नम्बर — ×

09. मापन इकाई — हेक्टेयर

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.137666 हे0 (शून्य दशमलव एक तीन सात छः छः छः हेक्टेयर) प्रथमपक्ष का सम्पूर्ण अंश

11. सेगमेण्ट रोड/सड़क/खण्डजा/चकमार्ग की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) — चकरोड

12. अन्य विवरण (9 मीटर रोड कार्नर इत्यादि) — तीन दिशाओं में चकरोड

13. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहु मंजिला भवन की स्थिति)— ×

14. कुल आच्छादित क्षेत्रफल — ×

15. स्थिति (फिन्स्डि/सेमी फिनिस्ड/अन्य) — ×

16. पेड़ों का मूल्यांकन — नहीं है

17. बोरिंग, कुआं, अन्य — नहीं है।

18. निर्मित क्षेत्रफल भूतल भाग व प्रथम मंजिल व ममटी क्षेत्रफल जोड़कर — ×

संजय वर्मा

संजय वर्मा

19. निर्माण का वर्ष — ×

20. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है — नहीं है

21. दानशुदा सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित किसी न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं है — नहीं है

22. अकृषिक भूमि की दशा में 50 मीटर त्रिज्या में व्यावसायिक गतिविधियां है या नहीं — नहीं है

23. कृषिक भूमि की दशा में 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/व्यावसायिक गतिविधियां है या नहीं — नहीं है

24. प्रथमपक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति का है या नहीं – नहीं है

25. दानशुदा सम्पत्ति नगर निगम के अंदर है या बाहर – बाहर है

26. दानशुदा भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अंदर है या बाहर – बाहर है

27. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक 01.08.2017 के पृष्ठ – 92 ग्राम कोड– 1062 कालम 12 में निर्धारित दर रूपया 32,00,000/– प्रति हेक्टेयर

संजयवर्मा संजयवर्मा

सम्पत्ति का मूल्यांकन :– भूमि का मूल्यांकन

0.137666 हेक्टेयर × 32,00,000/– + 60% (0.200 हे0 से कम होने के कारण) + 20% (तीन दिशाओं में चकरोड होने के कारण) = 8,46,000/– स्टाम्प – 42,300/– जरिये ई–स्टाम्प सार्टीफिकेट नम्बर ———— ———— IN-UP79217874273252T दिनांक 24.12.2021 का अदा है।

चौहद्दी –

पूरब	–	खेत नम्बर 133 दानकर्ता एवं अन्य व खेत नम्बर 132 व चकरोड खाम बादहू खेत नम्बर 136 आदि
पश्चिम	–	नाली नहर बादहू खेत जितेन्द्र तिवारी आदि
उत्तर	–	चकरोड खाम खेत नम्बर 112 व 111 आदि
दक्षिण	–	चकरोड खाम 1 लट्ठा बादहू नहर माइनर

प्रथमपक्ष दानदाता का विवरण :–

संजय कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रंजीत वर्मा निवासी धारूपुर पोस्ट खेमापुर, परगना अमसिन, तहसील सदर, जिला अयोध्या।

मो0 नं0 – 9721980541

पैन नं0 – AECPV3904Q

पेशा – कृषि

संजय वर्मा   संजय वर्मा

द्वितीयपक्ष दानगृहीता का विवरण :–

ठाकुर देई एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट धारूपुर, खेमापुर (फैजाबाद), जिला अयोध्या द्वारा संचालित अध्यक्ष/मुख्य न्यासी/प्रबन्धक संजय कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रंजीत वर्मा निवासी धारूपुर पोस्ट खेमापुर, परगना अमसिन, तहसील सदर, जिला अयोध्या।

मो0 नं0 – 9721980541

पैन नं0 प्रबन्धक – AECPV3904Q

पैन नं0 ट्रस्ट – AACTT7428B

प्रथमपक्ष निम्नवत अभिकथन करता है–

क. यह कि उक्त सम्पत्ति प्रथमपक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

ख. यह कि प्रथमपक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही किया है।

ग. यह कि प्रथमपक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।

घ. यह कि दान शुदा भूमि पर कब्जा द्वितीयपक्ष को दे दिया गया है।

संजय वर्मा   संजय वर्मा

ङ. यह कि दान शुदा भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस दान पत्र के दिनांक से पूर्व समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथमपक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा। भूमि स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथमपक्ष उत्तरदायी होगा।

च. यह कि इस दानपत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीयपक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथमपक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।

छ. यह कि इस दान पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीयपक्ष किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

<u>द्वितीयपक्ष अभिकथन करता है कि –</u>

यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के स्वामित्व / मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया

संजय वर्मा   संजय वर्मा

है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

यह कि दान शुदा भूमि/गाटा संख्या महायोजना में प्रस्तावित उपयोग पार्क, हरित पट्टिका आदि सार्वजनिक महत्व के प्रकृति का नहीं है। अंतरित भूमि/गाटा संख्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग के अन्तर्गत अधिग्रहण की प्रक्रिया से मुक्त/बाहर है।

यह कि महायोजना के विरूद्ध निर्माण किये जाने की दशा में अथवा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई भी तथ्य पाए जाने पर ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु दान ग्रहीता उत्तरदायी होगा।

अयोध्या के विकास हेतु राज्य सरकार के विभाग, अर्धशासकीय विभाग, प्राधिकरण, परिषद आदि द्वारा सहमति के आधार पर क्रय किये जाने अथवा अधिग्रहित किये जाने की स्थिति मे जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा निर्धारित दर पर दानग्रहीता एव उसके उत्तराधिकारी अंतरण करने हेतु बाध्य होंगे।

संजय वर्मा

संजय वर्मा

दानपत्र का अन्य विवरण –

जो कि प्रथमपक्ष दानदाता की उपरोक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक विवाद व भार से पाक व साफ है जिसके प्रथमपक्ष दानदाता तन्हा मालिक व काबिज हैं। प्रथमपक्ष दानदाता अपनी उपरोक्त सम्पत्ति सामाजिक उत्थान व शैक्षणिक कार्य हेतु द्वितीयपक्ष दानगृहीता को उपहार स्वरूप दान देना चाहता है, जिसमें वर्तमान समय में कृषि कार्य हो रहा है, जिसे द्वितीयपक्ष दानगृहीता द्वारा प्रबन्धक को भी उक्त दान स्वीकार है। अतः मन शरीर व बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ रूप से रहकर प्रथमपक्ष दानदाता ने अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को कुल हक व अधिकार समेत बहक द्वितीयपक्ष दानगृहीता दान दिया और बख्श दिया। द्वितीयपक्ष दानगृहीता ने भी उक्त दान को स्वीकार किया। कब्जा व दखल दानशुदा सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष दानदाता ने द्वितीयपक्ष दानगृहीता को आज से अपनी भांति मालिकाना करा दिया है। द्वितीयपक्ष दानगृहीता बइन्दराज नामखुद हमेशा नसलन बाद नसलन दानशुदा सम्पत्ति पर काबिज व दखील रहें या जो चाहे सो करें। अब आज से दानशुदा सम्पत्ति से प्रथमपक्ष दानदाता से या वारिसान प्रथमपक्ष दानदाता से कुछ वास्ता व सरोकार नहीं रह गया है। अतः यह दानपत्र सुन व समझकर अपनी स्वेच्छा से लिख दिया, कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

संजय वर्मा संजय वर्मा

तफसील जायदाद दानशुदा मजकूर वाके मौजा धारूपुर, अमसिन, तहसील सदर, जिला अयोध्या आराजी भूमिधरी गाटा संख्या 134/1.652हे0 चौहद्दी उपरोक्त में से 1/12 भाग रक्बा 0.137666हे0 (शून्य दशमलव एक तीन सात छः छः छः हेक्टेयर) प्रथमपक्ष का अंश है, प्रथमपक्ष ने अपना सम्पूर्ण अंश, द्वितीयपक्ष उपरोक्त ट्रस्ट के हक में दान किया है। दानशुदा सम्पत्ति सेगमेन्ट रोड पर नहीं स्थित है।

संजय वर्मा

संजय वर्मा

फोटो गवाहान –

अंजयवर्मा S/O रंजीत वर्मा
धारूपुर, अरवाई (बीकापुर)
अयोध्या (कृषि)
9670741010

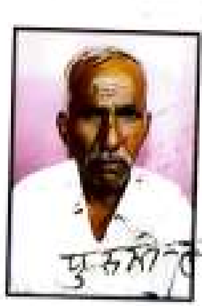

पुरुषोत्तम मौर्य पुत्र स्व.
श्रीराम उर्फ बनवारी लाल
ग्रा. अंकारीपुर
पो. गोसाईं गंज
जि. अयोध्या
9628586450
(कृषि)

आवेदन सं०: 202100905017380

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 12953	वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

दान दाता: 1

श्री संजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री स्व० रंजीत वर्मा

निवासी: सा.धारूपुर पो.खेमापुर पर.अमसिन
तह सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

दान गृहीता: 1

श्री ठाकुर देई एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री स्व० रंजीत वर्मा

निवासी: सा.धारूपुर पो.खेमापुर पर.अमसिन
तह सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

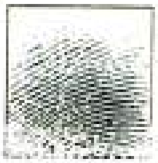

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अजय वर्मा, पुत्र श्री रंजीत वर्मा

निवासी: सा. धारूपुर अटवाई (खेमापुर) जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री पुरुषोत्तम मौर्य, पुत्र श्री स्व० श्रीराम उर्फ बनवारी लाल मौर्य

निवासी: सा. अकारीपुर पो. गोशाईगंज जिला अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

[illegible]
उप निबंधक [illegible]
अयोध्या

तेज प्रताप गौड़
निबंधक लिपिक

200 मीटर परिधि में नक्शा नजरी दान शुदा सम्पत्ति ग्राम धारूपुर, परगना अमसिन, तहसील सदर, जिला अयोध्या।

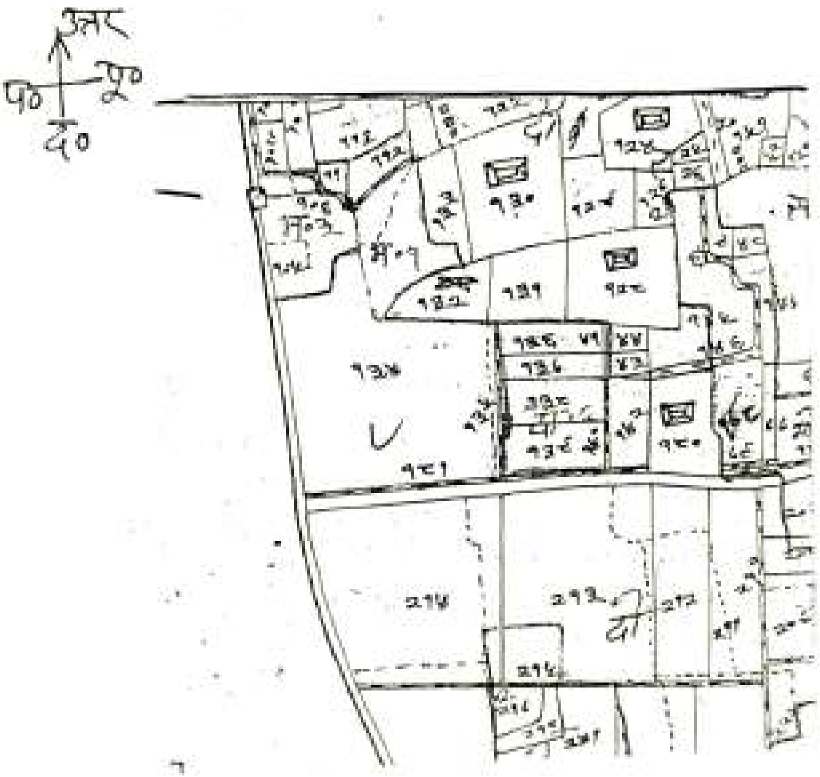

संजय वर्मा

संजय वर्मा

दिनांक - 24-12-2021ई०

आवेदन सं०: 202100905017380

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9653 के पृष्ठ 241 से 262 तक
क्रमांक 12953 पर दिनाँक 24/12/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० डी० सिंह
उप निबंधक : सदर
अयोध्या
24/12/2021

912स० 453
MT.G
ता० 18.2.22